

ग्राम संगठन स्तरीय आंकड़ों का सारांश शीट एवं आंकड़ों के संकलन का प्रारूप
स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आंकड़ों को ग्राम संगठन स्तर पर समेकित
करना और इनका सारांश शीट तैयार करना

अ. हक़दारी योजना

ब. आजीविका योजना

ग्राम संगठन स्तर का आंकड़ा ग्राम संगठनों से दो योजनाओं के लिए एकत्र किया
जाता है

स. पब्लिक गुड्स, सर्वसिस व रिसोर्स डिवेल्लप्मेंट योजना

द. सामाजिक विकास योजना

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

स्वयं सहायता समूहों की संख्या:

SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर

SHG की वर्तमान स्थिति और आनेवाले वर्ष की योजना

वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	स्थिति	संख्या
1	VO /PLF अधिकार -क्षेत्र में आनेवाले कुल परिवारों की संख्या	
2	SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या	
3	कुल मौजूदा SHG की संख्या	
4	सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या	
5	बैंक ऋण पानेवाले SHG की कुल संख्या	

आने वाले वर्ष की योजना

क्रम संख्या	योजना	संख्या
1	SHG के अंतर्गत लाए जानेवाले घरों की संख्या	
2	SHG की संख्या जिन्हें सचल राशि (RF) दी जाएगी	
3	SHG की संख्या जिन्हें बैंक ऋण दिए जाएँगे	

वर्तमान स्थिति की जानकारी भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु :

1. **VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या भरे
2. **SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया उन घरों की संख्या लिखें जो SHG के अधीन हैं
3. **कुल मौजूदा SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया ग्राम संगठन के अंतर्गत मौजूद SHG की कुल संख्या भरें
4. **सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया सचल राशि (RF) प्राप्त करनेवाले समूहों की कुल संख्या लिखें
5. **बैंक ऋण पाने वाले SHG की कुल संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया बैंक से ऋण प्राप्त करनेवाले SHG की कुल संख्या लिखें

आने वाले वर्ष की योजना भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. **SHG के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन घरों की कुल संख्या लिखें जिन्हें SHG के अधीन लाया जाएगा
2. **सचल राशि (RF) दिए जाने वाले SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें सचल राशि (RF) दिया जाएगा
3. **बैंक ऋण दिए जानेवाले SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें आने वाले वर्ष में बैंक से ऋण प्राप्त हो सकेगा

हकदारी योजना के लिए ग्राम संगठन के सारांश शीट को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. प्रत्येक योजना के स्वयं सहायता समूह स्तर के आंकड़े में एक आमुख पृष्ठ होगा जो संबंधित ग्राम संगठन का सारांश शीट होगा।
2. **स्वयं सहायता समूह के नाम कॉलम में** : कृपया SHG स्तर के डाटाशीट के अनुसार लाभार्थी जिस स्वयं सहायता समूह का है उसका नाम भरें।
3. **लाभार्थी की संख्या कॉलम में** : प्रारूप में उ1ल्लिखित योजना के लिए किसी विशेष स्वयं सहायता समूह से कुल लाभार्थी की संख्या को भरें।
4. **कार्य की संख्या कॉलम में** : कृपया प्रत्येक SHG से व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के माँग की संख्या क्या रही उसे भरें (यह केवल मनरेगा के तहत व्यक्तिगत/सामुदायिक कार्य की माँग के लिए मान्य है)।

हक़दारी योजना

1. मनरेगा

1.1 नया जॉब कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
कुल लाभार्थियों की संख्या		

स्वयं सहायता समूह के अधीन नहीं आने वाले लाभार्थियों के लिए नया जॉब कार्ड (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

1.2 मनरेगा में कार्य की मांग

1.2.1 मनरेगा -व्यक्तिगत कार्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	कार्य की संख्या
1		
2		
कुल संख्या		

1.2.2 मनरेगा -सामुदायिक कार्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	कार्य की संख्या
1		
2		
कुल संख्या		

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP (पेंशन)

2.1 वृद्धावस्था पेंशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

उन लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

2.2 विधवा पेंशन

क्रम संख्या	SHG का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

विधवा पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

2.3 विकलांगता पेंशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

विकलांगता पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते(ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/ग़रीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

3.स्वच्छ भारत मिशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

स्वच्छ भारत मिशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित गरीब / ग़रीबों में गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

4. स्वास्थ्य कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

स्वास्थ्य कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

5. राशन कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

राशन कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग / गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

6. उज्जवला गैस (LPG)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

उज्जवला गैस उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

7. प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना- सौभाग्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना - सौभाग्य उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

8. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

10. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY - G)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों के नाम
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

11. कोई अन्य योजना (योजना का नाम दर्ज करें)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों के नाम
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

कोई अन्य योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

C. आजीविका योजना

1.1 खेती – व्यक्तिगत खेती

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	SHG सदस्यों की संख्या जो व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखते हैं	व्यक्तिगत जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या	पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या
1				
2				
कुल संख्या				

व्यक्तिगत खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल व्यक्तिगत खेती का समेकित विवरण होगा

1. **SHG का नाम** कॉलम में : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिनके विवरण भरे जाने हैं।
2. **व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखने वाले SHG सदस्यों की संख्या** कॉलम में: कृपया संबंधित SHG के लिए व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखनेवाले SHG के कुल सदस्यों की संख्या दर्ज करें।
3. **अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की संख्या** कॉलम में : कृपया संबंधित SHG के लिए अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या दर्ज करें।
4. **पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या** का कॉलम: कृपया संबंधित SHG सदस्यों के लिए पट्टे की ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।

1.2 खेती- सामूहिक खेती

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	सामूहिक खेती में दिलचस्पी रखने वाले समूहों की संख्या	खुद की जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या	पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या
1				
2				
कुल संख्या				

सामूहिक खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल सामूहिक खेती का समेकित विवरण होगा

1. **SHG का नाम कॉलम में** : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिसका ब्योरा भरा जाना है ।
2. **सामूहिक खेती के इच्छुक SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में** : संबंधित SHG के लिए सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।
3. **SHG की संख्या कॉलम में** : कृपया एक SHG के भीतर सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले लोगों के समूहों की संख्या लिखें ।
4. **व्यक्तिगत ज़मीन पर खेती करने वाले समूहों की संख्या कॉलम में** : कृपया संबंधित SHG के लिए स्वयं की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें।
5. **पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में** : कृपया संबंधित SHG के लिए पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें ।

1.3 खेती - व्यक्तिगत और सामूहिक खेती के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	मदद के प्रकार	कुल मदद के प्रकार
1		
2		
कुल संख्या		

खेती के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को विभिन्न प्रकार के समर्थन के लिए ज़रूरी समेकित विवरण देगी।

1. **मदद के प्रकार** कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद चाही है उन विभिन्न तरह के मदद को दर्ज करें। कृपया स्वयं मदद के प्रकार समूहों से आए विभिन्न प्रकार की मदद आवश्यकताओं को लिखें। प्रत्येक तरह की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाए।

2. **ज़रूरी मदद की कुल संख्या** कॉलम में : व्यक्तिगत और सामूहिक पशुपालन के लिए ज़रूरी कुल मदद की संख्या इसमें दर्ज की जाए।

SHG के दायरे के बाहर के लाभार्थियों के लिए खेती (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/ग़रीबों से भी अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या	व्यक्तिगत/ सामूहिक	स्वयं की ज़मीन पे खेती/ पट्टे की ज़मीन पे खेती	किस प्रकार के मदद चाहते हैं
1						
2						

2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत और सामूहिक

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	व्यक्तिगत पशु पालन के लिए माँग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या	सामूहिक पशु पालन की माँग करने वाले समूहों की संख्या
1			
2			
	कुल संख्या		

व्यक्तिगत और सामूहिक : पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट -:

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत पशुपालन की माँग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से पशुपालन की माँग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक पशुपालन की माँग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में पशुपालन की माँग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत व सामूहिक के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	SHG के नाम	मदद के प्रकार	कुल मदद के प्रकार
1			
2			
	कुल संख्या		

पशु पालन -व्यक्तिगत और सामूहिक के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगी ।

1. **किस प्रकार का मदद चाहते हैं** कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद की माँग की है उन विभिन्न तरह के मददका विवरण लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग-अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।

2. **आवश्यक मदद की कुल संख्या** कॉलम में : यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के पशुपालन में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए पशुपालन (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित गरीब/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम और संख्या	व्यक्तिगत/ सामूहिक	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार
1						
2						

3.1 सूक्ष्म उद्यम - व्यक्तिगत व सामूहिक

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम के लिए जितनी संख्या में लोगों ने मांग की	सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की जितनी संख्या में समूहों ने मांग की अ
1			
2			
	कुल संख्या		

व्यक्तिगत और सामूहिक : सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षक का नोट :-

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में सूक्ष्म उद्यम की मांग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

3.3. सूक्ष्म उद्यम - -व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	मदद के प्रकार	आवश्यक मदद की कुल संख्या
1		
2		
	कुल संख्या	

सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद के लिए प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगा ।

1. **मदद के प्रकार** कॉलम में : SHG की ओर से भिन्न तरह के मदद की जो ज़रूरतें आई हैं उसको लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।
2. **आवश्यक मदद की कुल संख्या** कॉलम में : यह व्यक्तिगत और समूह पशुपालन दोनों में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म उद्यम (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित किए गए कमज़ोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या	व्यक्तिगत/ सामूहिक	सूक्ष्म उद्यम के प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार
1						
2						

D. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन योजना

सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की माँग (यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय माँग को भी शामिल किया जा सकता है)			
क्रम संख्या	माँग का विवरण	क्रम संख्या	माँग का विवरण
1	सड़क	19	ग्राम संगठन कार्यालय
2	आंगनबाड़ी केंद्र	20	कूड़ेदान
3	सामुदायिक हॉल	21	बुनाई केंद्र
4	जल निकासी	22	पेयजल की सुविधा
5	पंचायत भवन	23	पुस्तकालय
6	बाजार/हाट बाजार	24	कल्वर्ट
7	स्ट्रीट लाइट	25	चारदीवारी
8	सामुदायिक शौचालय	26	वेटिंग शेड
9	स्कूलों में शिक्षक	27	मध्याह्न भोजन के प्रावधान
10	डीवर्मिंग	28	स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स
11	टीकाकरण के लिए प्रावधान	29	मच्छरदानी
12	हाथ धोने की सुविधाएं	30	स्कूलों में यूनिफॉर्म
13	अनाज भंडारण की सुविधाएं/गोदाम	31	सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए कमरे
14	अनाज सुखाने का मचान	32	उत्पादक समूहों के लिए सुविधा/सामान्य केंद्र
15	हथकरघा लघु इकाइयां	33	स्कूल फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)
16	महिला पुलिस अधिकारी	34	उप केंद्रों के लिए उपकरण (दवाएं, सीरिंज, बीपी उपकरण)
17	सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन	35	सफाई कर्मचारी
18	भट्टी/क्रीमेटोरियम	36	सांस्कृतिक केंद्र एवं क्लब

संसाधन विकास की मांग

(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय माँग को भी शामिल किया जा सकता है)

क्रम संख्या	मांग का विवरण	क्रम संख्या	मांग का विवरण
1	तालाब	9	कृषि बंध
2	कुआँ	10	रिंग वेल
3	नदी के बंध	11	तटबंध
4	वर्षा जल संचयन	12	चेक डैम
5	ट्यूबवेल	13	भूमि विकास
6	पौध रोपण (वृक्ष, आम, बांस, सुपारी आदि)	14	बोरवेल
7	एलिफेंट ट्रेंच/हाथी खाई	15	वन बाड़
8	औषधीय पौधों की नर्सरी	16	झीलों का प्रबंधन

1. सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की गणना के लिए प्रारूप

ग्राम संगठन का नाम :		समूह की संख्या :		ग्राम पंचायत का नाम :	
क्रम संख्या	मांग का विवरण	स्थान	नया/मरम्मत	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)	
1					
2					
3					
4					
5					

2. संसाधन विकास की मांग की गणना के लिए प्रारूप

ग्राम संगठन का नाम :		समूह की संख्या :		ग्राम पंचायत का नाम :	
क्रम संख्या	मांग का विवरण	स्थान	नया/मरम्मत	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)	
1					
2					
3					
4					
5					

सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट :

1. **मांग का विवरण कॉलम में:** माँग के विवरणों में बुनियादी सुविधाएँ या संसाधनों के विकास की माँग शामिल होनी चाहिए। उदाहरण- पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक कुआँ, , टीकाकरण की व्यवस्था, हैंड वॉश की सुविधा आदि।
2. **स्थान के कॉलम में :** बुनियादी सुविधा या संसाधन विकास के स्थान में वार्ड का नाम और संख्या भी शामिल होनी चाहिए। उदाहरण : वार्ड संख्या और नाम 6, किशनगांव, रीता के घर से सुमन के घर तक।
3. **नए/नवीनीकरण कॉलम में :** मांग की प्रकृति बतायी जानी चाहिए । यदि उक्त मांग नई है तो प्रविष्टि नयी होगी। यदि उक्त मांग मरम्मत के लिए है तो प्रविष्टि मरम्मत की होगी।
4. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम केवल ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा । सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

D. सामाजिक विकास योजना (SDP)

विषय: योजना के अंतर्गत उल्लिखित सामाजिक मुद्दे

1. भूमिका
2. योजना का उद्देश्य
3. चिन्हित किये गए मुद्दे के बारे में आंकड़े
4. हितग्राहियों की भूमिका
5. समाजिक मुद्दों के समाधान के लिए गतिविधियाँ
6. अपेक्षित बजट
7. आगे की कार्यवाही /निगरानी

क्रम संख्या	सामाजिक मुद्दा	गतिविधियाँ
1	शराब की लत	<ul style="list-style-type: none">● अवैध शराब की दुकानों को बंद करना● आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना● थाने में शिकायत दर्ज करना● नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं
2	नशीली दवाओं के दुरुपयोग	<ul style="list-style-type: none">● परामर्श और चिकित्सा सेवाएं● नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं।● सामुदायिक सतर्कता टीमों का गठन
3	वयस्क साक्षरता	<ul style="list-style-type: none">● यदि कोई है तो ब्लॉक/जिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को जोड़ना

		<ul style="list-style-type: none"> ● वयस्क साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत ● साक्षरता बढ़ाने के लिए पर्यावरण निर्माण जैसे सार्वजनिक स्थानों में कहावत के साथ पोस्टर चिपकाना ● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए संसाधन जुटाना ● खुले स्कूलों (Open School) में प्रवेश के लिए राज्य साक्षरता मिशन के साथ संबंध स्थापित करना
4	स्कूल ड्रॉपआउट	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल प्रबंधन समिति की सक्रियता/पुनरुद्धार ● स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूलों में फिर से नामांकन ● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से स्कूल छोड़नेवालों के लिए संसाधन जुटाना ● स्कूलों में लड़कियों की शिक्षकों, शौचालयों जैसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना ● मिड-डे मील योजनाओं जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ●
5	कुपोषण	<ul style="list-style-type: none"> ● आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में न्यूट्री-गार्डन/किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना ● स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच ● आंगनबाड़ियों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की नियमित निगरानी और गंभीर तीव्र कुपोषित, मध्यम तीव्र कुपोषित, गंभीर रूप से कम वजन वाले, मध्यम कम वजन वाली

		<p>श्रेणियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों की विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आंगनबाड़ियों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, मातृ समिति जैसी विभिन्न समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करना ● आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ● नियमित अंतराल पर प्रतिरक्षण, डीवर्मिंग टैबलेट, आयरन, फोलिक गोलियों जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
6	<p>महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न आदि)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए मदद केंद्रों/जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना। ● महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जानेवाले क्षेत्रों की ग्राम स्तरीय मैपिंग ● महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन ● एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद प्रकोष्ठों की स्थापना निकटतम पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की मांग ● जेंडर के बारे में जानकारी देने के लिए कक्षाएं आयोजित करना ● हिंसा में बचे लोगों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना

		<ul style="list-style-type: none"> •
7	बाल विवाह	<ul style="list-style-type: none"> • समुदाय को संवेदनशील बनाना • पंचायत स्तर पर कानूनी मदद के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना • 18 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना
8	पर्यावरण सम्बन्धित मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> • पौधरोपण और सफाई अभियान चलाना • स्कूलों में पर्यावरण क्लबों को बढ़ावा देना • कपड़े के थैले के उपयोग के माध्यम से प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान शुरू करना • घरेलू स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management) का अभ्यास • पंचायत स्तर पर अपशिष्ट निपटान (Waste management) और प्रबंधन सुविधाओं की शुरुआत • आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का गठन
9	दहेज़	<ul style="list-style-type: none"> • कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन • एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद के प्रकोष्ठों की स्थापना • थाने में शिकायत दर्ज कराना • समुदाय का संवेदीकरण • जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।

10	मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)	<ul style="list-style-type: none"> ● थाने में शिकायत दर्ज कराना ● कानूनी जागरूकता के लिए पुलिस स्टेशन के साथ गठजोड़ ● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जीवित बचे लोगों के लिए एक लिंक स्थापित करना ● सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।
11	<p>सामाजिक बहिष्करण (बेघर व्यक्ति, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रवासी मजदूरों से संबंधित व्यक्ति, बंधुआ मजदूर, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, सफाई कर्मी आदि)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय का संवेदीकरण ● जरूरी खाद्यान्न, कपड़े आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था। ● उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों सहित बुनियादी हकदारियों तक पहुंचने में मदद करना । ● मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के साथ जोड़ना ।

सामाजिक विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट

योजना प्रारूप

भूमिका

ग्राम पंचायत/गाँव में चिह्नित किये गए मुद्दों को प्रस्तुत करना, ग्राम पंचायत व गाँव के नाम का वर्णन अनिवार्य है। गाँव में परिवार व कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या का यहाँ उल्लेख हो।

GP/VC/VDC/VA का नाम :

गाँव का नाम :

गाँव में कुल परिवारों की संख्या :

गाँवों में SHG की संख्या :

गाँव संगठन की संख्या :

चिह्नित किये गए मुद्दे के बारे में चर्चा का संक्षिप्त उल्लेख अनिवार्य है। मुद्दा क्या है और इसका समाधान क्यों अनिवार्य है इसका उल्लेख ज़रूरी है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को तैयार करने की वजह क्या है। मुख्य वजह है चिह्नित मुद्दे का हल निकालना और दूसरा उद्देश्य है इस योजना को GPDP योजना में समाहित करना। उद्देश्य का प्रारूप योजना में तैयार किए गए हस्तक्षेप की डिज़ाइन के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है। चिह्नित किये गए मुद्दे को समाज व अधिकारियों के समक्ष रखना भी उद्देश्य हो सकता है।

चिह्नित किये गए मुद्दे से संबंधित आंकड़े

चिह्नित किये गए सामाजिक मुद्दों को उदाहरण व आँकड़ों के साथ पेश करना हमेशा ज़रूरी होता है। इससे किसी चिह्नित मुद्दों की तीव्रता को दिखाने में मदद मिलती है। अगर यह ऐसा मुद्दा है जिसे गुणवत्ता की दृष्टि से मापा जा सकता है—

उदाहरण के तौर पर बच्चों का स्कूल में पढ़ाई छोड़ देना/निरक्षर लोगों की संख्या/शराब के गैरकानूनी दुकान आदि। इन सभी आँकड़ों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

अगर ऐसी कोई घटना है जो चिह्नित सामाजिक मुद्दे का समर्थन कर सकता है तो उसे भी इस सत्र में शामिल कीजिए। इसे टेबल में किस तरह दिखाया जा सकता है इसका उदाहरण नीचे दिया गया है।

गाँव का नाम	संख्या
	*चिह्नित सामाजिक मुद्दों से प्रभावित मामलों और लोगों की संख्या दर्ज करें।

हितग्राहियों की ज़िम्मेदारी

इस सत्र में सभी लाभार्थियों के नाम व चिह्नित किये गए मुद्दों के समाधान में उनकी भूमिका की चर्चा होगी। SHG नेटवर्क, LSG, और संबंधित विभाग के लोग मुख्य हितग्राही होंगे और उनकी जिम्मेदारियाँ यहाँ दर्ज होनी चाहिए।

हितग्राहियों के नाम	हितग्राहियों की भूमिका
GPs/ VCs/VDCs/VAs	
SHG	
ग्राम संगठन	
संबंधित लाइन विभाग	

सामाजिक मुद्दे के समाधान हेतु गतिविधियाँ

इस सत्र में उन गतिविधियों की सूची रखी जा सकती है जो SHG ने मुद्दे के समाधान के लिए प्लान किया है। गतिविधियों की समय सीमा तय की जा सकती है। ग्राम संगठन उन गतिविधियों की भी चर्चा कर सकते हैं जो दूसरे हितग्राही भी आयोजित कर सकते हैं।

आयोजित गतिविधि	गतिविधि की ज़िम्मेदारी/गतिविधियों के आयोजक	गतिविधि की समय सीमा

अपेक्षित बजट (अगर इसकी ज़रूरत हो तो)

चूँकि यह कम बजट/ बिना लागात वाली योजना है, इसलिए इसमें बजट सभी योजना के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ मुद्दों को हल करने में पैसे का खर्च नहीं है और इन्हें हितग्राहियों के उचित हस्तक्षेप से हल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा है जिसमें थोड़ा खर्च ज़रूरी है तो इस सत्र में इसकी चर्चा की जा सकती है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की अनुमानित बजट का जिक्र हो।

जिन सामानों की ज़रूरत है	प्रति इकाई लागत	ज़रूरी इकाई की संख्या	कुल खर्च
कुल बजट			

आगे की कार्यवाही / निगरानी

योजना को पेश करने के बाद ज़रूरी है कि ग्राम संगठन उसके आगे की कार्यवाही पर ध्यान दे और इनकी निगरानी करे। इसके लिए ग्राम संगठन योजना के अन्य सदस्य हितग्राहियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस सत्र में आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। इसमें हितग्राहियों के साथ मीटिंग, गतिविधियों का आयोजन, गतिविधियों को अच्छे से संचालन, स्थिति की जांच करना, आदि शामिल हैं।

